

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	माघ 21, बुधवार, शाके 1942- फरवरी 10, 2021 Magha 21, Wednesday, Saka 1942- February 10, 2021	

भाग-1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें ।
सांख्यिकी विभाग
परिपत्र
जयपुर, फरवरी 09, 2021

संख्या प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस:- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से प्राप्त अ.शा. पत्र के दिशानिर्देशानुसार भारत की जनगणना- 2021 को मध्यनजर रखते हुये राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.10.2019 के द्वारा निर्णय लिया गया था कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

कोविड-19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1662 दिनांक 10.08.2020 द्वारा राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थितिकरण की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2019 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2020 कर दी गई । कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थितिकरण की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया जाता है ।

इसे आवश्यक समझा जावे ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
 निरंजन आर्य,
 मुख्य सचिव